



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2394]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939

No. 2394]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

का.आ. 2733(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की अधिसूचना सं. का.आ. 656(अ) तारीख 4 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण में प्रारूप अधिसूचना, प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 4 मार्च, 2016, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, जिसे कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफईई 302 एफडब्ल्यू एल 2011-(iv), तारीख 27 नवंबर, 2011 द्वारा अधिसूचित किया गया था, कर्नाटक के तीन जिलों अर्थात् रामानगर(कनकपुरा तालुक), चमरंज नगर (कोलेगौला तालुक) और मण्डयार (मलावल्ली तालुक) 1027.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उत्तर अक्षांश 11°56' 54.38" उ से 12°24' 35.78 उ और पूर्व देशांतर 77°09' 41.02 पू से 77°46' 39.84" पू के बीच अवस्थित है;

और, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के दक्षिण भारतीय शुष्क पर्णपाती किस्म के वनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे पारंपरिक रूप से बाघों और इसके शिकार के लिए सर्वोत्तम और संभावित निवास के रूप में जाना जाता है और अधिसूचना संख्या एफईई 231 एफडब्ल्यूएल 2000, तारीख 25 नवंबर, 2002 द्वारा 6724.87 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में है और जिसे भारत सरकार, वन और पर्यावरण मंत्रालय, के हाथी परियोजना का सम्यक अनुमोदन प्राप्त है तथा अभयारण्य के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाते हुए एशियाई हाथियों के अच्छे अनुकूल सघनता का समर्थन करता है;

और, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में मलाइमहादेशवरा वन्यजीव अभयारण्य तथा इडयाराहल्ली-डोडासंपीजी रिजर्व वनों के गलियारे से होते हुए बिलिगिरिरंगास्वामी मन्दिर बाघ रिजर्व से जुड़ा हुआ है और अभयारण्य के उत्तर भाग में, रामदेवाराबेट्टा-चवरकल रिजर्व वन से होते हुए बन्नरघाटा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है;

और, अभयारण्य कुछ बड़े स्तनधारियों के लिए प्राकृतिक आवास है जैसे रॉयल बंगाल बाघ (*पैंथेरा टीगरीस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), धोले एवं जंगली कुत्ता (*क्यूओन अलपीनस*), सियार (*कनीस अयरेअस*), चित्तीदार लकड़बग्घा (*हेयना हेयना*), भारतीय लोमड़ी (*बुलपुस बेदगालेन्सीस*), रीछ (*मेलूरस अरसीनअस*), छोटा भारतीय मुसंग (*वीवेरीकूला इंडिका*), एशियन मुसंग (*पराडूक्सनअरस हेरमापहेरोदीटूस*), जंगली बिल्ली (*फैलिस चाउस*), रस्ती-स्पॉटीड चित्तीदार बिल्ली (*पेरीओनाइलउरूस रूबीगीनोसूस*), ग्रे नेवला (*हेरपेसटेस इडवारडसी*) और रूड्डी नेवला (*हेरपेसटेस समीथी*) आदि., इस अभयारण्य में पाए जाने वाले मांसाहारी और कुछ अनगलित/ शाकाहारियों/शिकार प्रजातियों में गौर (*बोस गौरूस*), सांभर हिरण (*रूसा यूनीकोलर*), चीतल एवं चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), जंगली सूअर (*सूस स्कोफा*), चौसिंगा मृग एवं चौसिंगा (*टेराकेरअस क्यूडरीकोरनीस*), काला हिरण एवं भारतीय मृग (*अनटीलोपे केरवीकापारा*), मुंजक और भारतीय मुनटजक (*मुनटीकस मुनटजक*) और पिसूरी एवं भारतीय छोटा कस्तूरी-मृग (*मोसचीओला इंडिका*) और ब्लैक-नेण्ड खरगोश (*लेपुस नीगरीकोल्लस*) आदि शामिल हैं;

और, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के तटवर्ती वन कर्नाटक राज्य में केवल एक ऐसा स्थान है जो भूरी विशालकाय गिलहरी (*रतुबुना मैकोरा*) की संकटापन्न प्रजातियां (प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ) है, जो दक्षिण भारत और श्रीलंका के लिए स्थानिक है और हाल ही में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से हनी बेजर या रतल (*मेलेवोरा कैपेसिस*) को पहली बार कैमरा में कैद किया और रिकॉर्ड किया गया है, जो दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के संदर्भ में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के महत्व और अद्वितीयता को उपदर्शित करता है;

और, कावेरी नदी वन्यजीव अभयारण्य के मध्य से बहती है और यह संकटापन्न तथा स्थानिक मछलियों के प्रजातियों के लिए निवास है जिन्हें दक्कन महशीर (*टोर खुर्दी*) कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण ताजाजल फलैंग शिप महत्वपूर्ण प्रजाति हैं और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की नदी पारिस्थितिक तंत्र भी कमजोर प्रजातियों के अंतिम शेष गढ़ है जैसे स्मूथ कोटेड औटर (*लूटरा पर्सिसेलाटाटा*), ओरिएंटल क्लौट औटर (*एओनेक्स सिनेरिया*) और सामान्य औटर (*लूटरा लूटरा*) हैं और इस वन्यजीव अभयारण्य के विशेष आवास में भी अन्य जलीय प्रजातियों का समर्थन करते हैं जैसे मगर या मार्श मगरमच्छ (*क्रोकोडयलूस पलूस्ट्रीस*) और सॉफ्ट शेल्ड कछुए (*एस्पीडेरेटेस गनगोटीक्स*) हैं;

और, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में संकटापन्न भारतीय साल (*मानिस कैस्सीक्यूडाटा*), स्थानिक मद्रास वृक्ष शिव (*अनाथाना इलियोटी*) और निकट संकटापन्न और स्थानिक कोल्लेगल भूमि गेड्डो (*गेककोइल्ला कोल्लेगलेनसीस*) का भी भरण पोषण रता है है;

और, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2004 में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) के रूप में पदाभिहित किया गया है, क्योंकि यह पक्षियों की 280 से अधिक प्रजातियों का भरणपोषण करता है, जिसमें गंभीर रूप से संकटापन्न सफेद चकत्ते वाले गिद्ध (*जीयेपस बेंगलेंसिस*) और भारतीय गिद्ध (*जीयेपस इंडिक्स*), संकटापन्न गिद्ध (*सैरकोजाईपस कालवस*) शामिल हैं कावेरी से रिपोर्ट की गई दुर्लभ और कमजोर पक्षियों की प्रजातियों में नीलगीरी की धारा (*कोलूबा इलफेइनस्टोनी*), ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (*क्लेगा क्लेगा*), व्हाइट नेपड टिट (*पारस नूचाल्लीस*), पाइड-क्रेस्टेड टिट (*पारस नूचाल्लीस*), और यल्लो-श्रोएटेड बुलबुल (*पायनोटस क्सअनथोलामूस*) और अभयारण्य में यूरोपीय मधुमक्खी (*मेरोपस अपीइसटीर*), पश्चिमी घाट प्रजाति जैसे भारतीय कोरसियर (*कोरेसोरीअस कोरोउमनडेल्लीक्स*) और कुछ प्रवासी पक्षियों का भरण पोषण करता है। मालाबार पैराकीट (*पेसीट्राकुला कोलूमबोइडेस*) और विश्व स्तर पर संकटापन्न ग्रेटर स्पेटेड ईगल (*अक्यूइला चलेनजा* और *क्यूनजा*) के लिए महत्वपूर्ण सर्दी क्षेत्र है;

और, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 उपधारा (1)की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा से 1.0 किलोमीटर से 14.5 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र को कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र 600.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जिसका विस्तार कावेरी वन्यजीव अभयारण्य 1.0 किलोमीटर से 14.5 किलोमीटर के बीच है तथा जिसकी सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के बाहर अवस्थित 501.25 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र के साथ 72 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं और तीन अलग-अलग जिलों के तीन तालुकों में फैला है। पारिस्थितिक संवेदी जोन के कोल्लेगल तालुक (चामराजनगर जिले) 28 राजस्व ग्राम विद्यमान हैं, पारिस्थितिक संवेदी जोन के मालावल्ली तालुक (मंड्या जिले) में 21 राजस्व ग्राम विद्यमान हैं और पारिस्थितिक संवेदी जोन के कनकपुरा तालुक (रामानगर जिले) में 23 राजस्व ग्राम विद्यमान हैं। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की बाहरी सीमा के अंतर्गत विद्यमान 35 संलग्न ग्रामों (वन ग्राम) भी सम्मिलित हैं जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्र 38.79 वर्ग किलोमीटर है।

(3) कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत अवस्थित 107 (जिनके अंतर्गत 35 वन ग्राम/संलग्न ग्राम भी हैं) ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(4) 107 ग्राम जो कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का भाग है इसमें सथेगल जागीर वन (कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के संस्पर्शी 37.66 वर्ग किमी खंड 4 अधिसूचित क्षेत्र) है और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के हनूर राज्य वन के संस्पर्शी एकाडहलीगुडा का क्षेत्र 3.12 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत अवस्थित उक्त अधिसूचित क्षेत्र के ब्यौरे क्षेत्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(5) रामानगर जिला में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के संस्पर्शी दो आरक्षित वनों को भी कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन शामिल किया गया था। उक्त वन्यजीव अभयारण्य सीमा के बाहर अवस्थित इन दो आरक्षित वनों का कुल क्षेत्र है लेकिन पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा की 19.8862 वर्ग किलोमीटर के रूप में संगणना की जाती है; और पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत अवस्थित आरक्षित वनों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

(6) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के अंतर्गत विद्यमान भूमियों की विधिक प्रास्थिति मुख्यतः राजस्व भूमि, पट्टा भूमि, बाड़ों आरक्षित वन जो कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा-4 के अधीन अधिसूचित वन हैं अनुमान वन क्षेत्र, सड़क और तालाब आदि समझे गए हैं।

(7) सीमा वर्णन और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध V** के रूप में संलग्न है।

(8) कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांक **उपाबंध VI** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति में जो इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि ;
- (iv) राजस्व;

- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिक;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का सहायक मानचित्र के साथ अभ्यंकन करेगी। इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग विशेषताओं का ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा 4 की सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए जीवकोपार्जन की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी।

(8) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग:** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात हो सकेगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 में दिए गए हैं:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2)

भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि का सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का सुधार इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं करेगा।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलाप वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक संघटक का भाग रूप होगा।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) कावेरी वन्यजीव अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा परन्तु अभयराण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पारिस्थिति पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की बहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में नियंत्रण निवारण और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन किए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 समय समय पर यथा संशोधित द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा और अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरण रूप से स्वीकार्य रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 समय समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट निपटान प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 समय समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन**: - यातायात का यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने तक और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण**:- लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए किए गए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**: - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों का उद्योगों के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण**: - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को वहां उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव की उच्च डिग्री वाले विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझे तो इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य अतिरिक्त उपायों को विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तदधीन बनाए गए नियमों जिनमें और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 भी है और अन्य लागू विधियों जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) भी है तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय तुरन्त प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी जिसमें निजी उपभोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों या ईंटों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार खनन संक्रियाएं की जाएंगी।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नया उद्योग और पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	नए वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार या प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट किसी भी के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है।

7.	फार्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) प्रतिषिद्ध होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
9.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) प्रतिषिद्ध होंगे।
10.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) प्रतिषिद्ध होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे:</p> <p>परंतु, जहाँ संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से है पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक वहां एक जो भी निकट हो सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।</p>
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:</p> <p>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वर्गीकरण के अनुसार निबंधित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग ;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाएं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में गृह वास में सहायक है; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :</p> <p>(ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।</p>
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय लघु और

		सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन की सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपायों के साथ, किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण के उपायों के साथ, किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना, का किया जाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेरी कृषि, जलकृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाहों का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा उपचारित अपशिष्ट के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्सारण को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि या अन्य उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संबंधित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास का जीर्णोद्धार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, निगरानी समिति गठित करती है, पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

- (क) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर - अध्यक्ष ;
- (ख) माननीय विधानसभा सदस्य, हनूर निर्वाचन क्षेत्र, चमराजानगर जिला - सदस्य;
- (ग) माननीय विधान सभा सदस्य, मालावली निर्वाचन क्षेत्र, मंडया जिला - सदस्य;
- (घ) माननीय विधान सभा सदस्य, कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र, रामानगर जिला - सदस्य;
- (ङ.) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;
- (च) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य ;
- (छ) प्राकृतिक संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का कर्नाटक सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किए जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (ज) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर -सदस्य;
- (झ) कर्नाटक राज्य विख्यात संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में कर्नाटक सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किए जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य ;
- (ञ) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य
- (ट) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, चमराजानगर, मंडया और रामानगर -सदस्य ;
- (ठ) उप वन संरक्षक, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, कोल्लेगल -सदस्य सचिव।

* (अन्य बातों के साथ, सुसंगत अनुमोदन अभिप्राप्त करते हुए, कर्नाटक सरकार जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, विधान सभा, कर्नाटक से अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, के अध्यक्षीन)

6. निर्देश - निबंधन

- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.

1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध तालिका में यथा विनिर्दिष्ट गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध VII** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपायों- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे।

[फा. सं. 25/160/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -I

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर: पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा रेखा के कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के चिक्कयेलाचागेरे ग्राम से उत्तर पश्चिमी भाग से आरंभ होकर और शिवानाहल्ली ग्राम के उत्तरी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह हगादुर ग्राम के उत्तरी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद रेखा होसापेटे बसावापुरा ग्राम के उत्तर-पूर्वी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद सीमा रेखा मेन पावर लाइन को पार करके गोंदापुरा ग्राम के दक्षिण पूर्वी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद रेखा एन एन राष्ट्रीय राजमार्ग 209 के समानान्तर गोंदापुरा ग्राम के पूर्वी भाग की ओर मुड़कर और इसके बाद रेखा हगदुरु के दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर मुड़ती है। इसके बाद रेखा केमपायनादोदी ग्राम के पूर्वी भाग से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा देवीराहल्ली ग्राम के उत्तर पूर्वी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद रेखा कनकपुरा तालुका में हरीहरा ग्राम (सर्वे सं. 249, 78, 77, 66, 63, 62, 85, 68, 59) से होते हुए कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की वन सीमा से 1000 मीटर की दूरी के साथ जाती है। इसके बाद रेखा नायकानाहल्ली (सर्वे सं. 82, 81, 30, 61, 62, 66, 60, 48, 46, 43, 42, 41, 32), चिक्कामुदुदे (सर्वे सं. 48, 47, 46, 30, 29, 27, 35, 101, 80), दुंतूर (सर्वे सं. 42, 43, 45, 27, 18, 13, 14, 187, 188, 166, 167, 10, 158, 159, 184) और सथानुर-मुथाथी सड़क से होते हुए बोहल्ली (सर्वे सं. 59, 48, 46, 149, 27) की वन सीमा से पूर्ण सर्वेक्षण संख्या और चिलान्दावदी आरक्षित वन की सीमा ग्रामों से 1000 मीटर की दूरी से होते हुए जाती है और इसके बाद रेखा सथनुर-कोदीहल्ली सड़क,

यादामारानाहल्लीकेरे से होते हुए जाती है, इसके बाद रेखा यादामारानाहल्ली पावर स्टेशन दोहालाहल्ली (सर्वे सं.177, 176, 303, 04, 183, 184, 186, 188, 190, 213, 223, 212, 256, 257, 258, 268, 262, 248, 247, 149, 150, 138, 142, 141, 143), अलाहल्ली केरे से होते हुए जाती है इसके बाद यह येलागाहल्ली (सर्वे सं.186, 188, 194, 123, 122, 134, 133, 132, 136,150,139), उय्यमबाल्ली (सर्वे सं.148, 141, 122, 117, 107, 89, 90, 100, 92) दोहालाहल्ली ग्राम के किनारे से होते हुए जाती है और इसके बाद रेखा हरोशिवानाहल्ली ग्राम उत्तर पश्चिमी भाग से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा एस एच 92 और बेन्दागोदु के उत्तर पश्चिमी भाग से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा पुरशागोनदानाहल्ली के उत्तरी भाग से होते हुए फिर यह आरक्षित वन सीमा चुंची के पूर्व से आरंभ होकर नाल्लाहल्ली, मदराहल्ली, मुल्लाहल्ली ग्राम (सर्वे सं, 87, 89, 57), और गोल्लाहल्ली (सर्वे सं 132, 76, 75, 72, 84, 102, 101, 108, 111, 113, 125), अरेकोप्पा (सर्वे सं. 120, 122, 125, 127, 116, 113, 146, 165, 168, 67, 11, 12, 21) में वन सीमा के निकटवर्ती नदी अरकावथी से होते हुए जाती है, इसके बाद रेखा शिवानेगोवदाना दोद्दी और कोट्टेकोप्पा (सर्वे सं.63,62,76,77), से होते हुए जाती है, इसके बाद रेखा मुनेश्वरा बेट्टा आरक्षित वन से जुड़ती है, इसके बाद रेखा अलानाथा के पश्चिमी भाग से होते हुए जाती है और इसके बाद बन्नीमुकोडल सड़क कुदीगलानी दोद्दी (सर्वे सं.13, 14), के कोदीहल्ली की ओर मुड़ती है, इसके बाद रेखा गुद्वेविराना होसाहल्ली के दक्षिणी भाग से होते हुए और रामदेवारा बेट्टा आरक्षित वन के ग्रामों से जुड़कर और बाद में मुगुर आरक्षित वन सीमा से 1000 मीटर दूरी से मुगुर आरक्षित वन सीमा से मिलती है और इसके बाद बन्नीमकोदल (सर्वे सं.57, 103, 133, 126, 292, 139, 142, 165, 160, 159, 145), की ओर आरक्षित वन सीमा से 1000 मीटर की दूरी पर चवराकल आरक्षित वन सीमा को आच्छादित करती है, इसके बाद रेखा दोहाहाला से होते हुए और चिक्कामोकोदल (सर्वे,51, 53, 47, 46, 21, 20, 33, 64,) और हुनासानकोदीआहल्ली (सर्वे. सं. 60, 63, 64, 73, 74, 81, 85, 86, 88) और एस एच 3 के अंतिम में मिलती है और इसके बाद रेखा चवराकल आरक्षित वन की उत्तरी सीमा से होते हुए जाती है और हुनसानाहल्ली में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की अंतर राज्य सीमा को छूती है। पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित कनकापुरा तालुक के ग्रामों की सर्वेक्षण संख्या उपर दी गई है जो कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1000 मीटर की दूरी के अंतर्गत है। सर्वेक्षण संख्या जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1000 मीटर की दूरी के अंतर्गत है लेकिन सम्मिलित नहीं है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत निम्नलिखित बसवानाबेट्टा आरक्षित वन के संलग्न ग्राम हैं तालावदी, बसवेगोवदानादोद्दी, दालानाकट्टे, सोलबा, मुथालाकट्टे, बसवानाहल्ली, कोनानगुनदी, सोलीगेरे, मुथाथी, कुरीमानदे, बन्नान्ने और सम्बापुरा ग्राम। इसके बाद यह भी चिलानदावदी आरक्षित वन के संलग्न ग्रामों में सम्मिलित है जैसे हेग्गानुर, वीरासानदरा, चीलानदवदी, संगम, बोम्मासानदरा, हूलया और मक्कालान्धा ग्राम । मुगुर आरक्षित वन के संलग्न ग्रामों में मुगुर, कोनगावदी और मदीवला ग्राम सम्मिलित है इसके बाद यह चवराकल आरक्षित वन के अंतर्गत स्थित होन्नीगानाहल्ली ग्राम भी सम्मिलित है।

पूर्व: पूर्वी भाग में, पारिस्थितिक संवेदी जोन कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा रेखा अंतर राज्य सीमा के साथ जहाँ हुनासानाहल्ली का अंतिम बिंदु है कर्नाटक और तमिलनाडु के अंतर राज्य सीमा से आरंभ होती है और अंतर राज्य सीमा के साथ जाती है फिर रेखा कावेरी नदी से मिलती है और बिंदु से पुनः जहाँ कावेरी नदी पलर नदी से मिलती है। इसके बाद सीमा रेखा इसके अतिरिक्त कावेरी वन्यजीव अभयारण्य और मलाई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा रेखा के साथ जाती है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत महादेश्वरा मलाई आरक्षित वन के संलग्न ग्राम निम्नलिखित है पदासलानट्टा, थेकानी (नगामलाई), गोपीनाथम, पंचालाने, बेज्जालाने, दंताल्ली, इंदीगानाट्टा ग्राम । होगेन्नाकल और अलम्बदी राजस्व संलग्न नहीं है, लेकिन अनाधिकार वन भूमि है।

दक्षिण: दक्षिणी भाग से, पारिस्थितिक संवेदी जोन कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा रेखा जंक्शन बिंदु से आरंभ होकर जहाँ अंतर राज्य सीमा मे कावेरी नदी पलर नदी से मिलती है। इसके बाद सीमा कावेरी वन्यजीव अभयारण्य और मलाई महादेश्वरा की सीमा के साथ जाती है। इसके बाद रेखा कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिणी सीमा से मिलती है और अभयारण्य की डी-रेखा के साथ मुडकर और कुरात्ती होसुर, शेट्टाहल्ली, बदराय्यानाहल्ली, कौहाल्ली, दोहालाथुर, चनगादराहल्ली की ग्राम सीमा से मिलती है और चनगादराहल्ली की दक्षिणी सीमा से इदयाराहल्ली आरक्षित वन को छूती है और रामापुरा, अज्जीपुरा और चनगादराहल्ली के त्रि-जंक्शन बिन्दु से मिलती है। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित अज्जीपुरा ग्राम के सर्वेक्षण संख्या 772, 769, 273, 280, 277, 276, 274, 292, 275, 279, 278, 767, 748, 768, 750, 751, 290, 289, 788, 288, 287, 293, 770, 295, 292, 294, 771, 419, 420, 421,

434, 423, 424, 425, 437, 436, 773, 438, 439, 440, 441, 446, 448, 447 और 449 है। और अज्जीपुरा ग्राम के ग्रामा थाना सीमाएं पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद रेखा छिन्नागुद्धा की सीमा के साथ उत्तरी दिशा में हनुर आरक्षित वन की सीमा के साथ जाती है। इसके बाद रेखा पश्चिम दिशा में हनुर आरक्षित वन के उत्तरी भाग के साथ मुड़कर यह कार्ट ट्रेक जो टट्टे हाल्ला के उत्तरी और पूर्वी दिशा को छूती है और इसके बाद रेखा टट्टे हाल्ला के साथ होते हुए फिर यह दोद्दा हाल्ला के टट्टे हाल्ला से मिलती है। रेखा मनागल्ली, चिन्चाहल्ली, गुण्डापुरा से होते हुए दोद्दाहल्ली के साथ पश्चिम की ओर मुड़कर और इसके बाद मंगला ग्राम से मिलती है। इसके बाद रेखा गुण्डापुरा और मंगला की सामान्य सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है और कोलेगल-रामापुरा सड़क से 100 मीटर की दूरी पर छूती है। इसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा रेखा कोलेगल रामापुरा सड़क से 100 मीटर की दूरी के साथ बिन्दु तक जाती है जहाँ यह दोद्दीनदुवदी में सिंचाई चैनल को छूती है। इसके बाद यह चैनल के साथ उत्तरी दिशा की ओर मुड़ती है और चिक्कीनदुवदी, पलया, उगनीया, सथेगाला ग्रामों से होते हुए जाती है और सड़क को छूती है जो भराचुक्की सड़क के गवीपुरम मंदिर से जुड़ती है। इसके बाद सीमा रेखा राष्ट्रीय राजमार्ग 209 के समान्तर 100 मीटर की दूरी के साथ जाती है और इसके बाद पुल के साथ कावेरी नदी को पार करती है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित संलग्न ग्राम निम्नलिखित हैं अर्थात् कावडल्ली आरक्षित वन में अरबगेरे और चिकयालुर आरक्षित वन में गनीगमनगाला।

पश्चिम: पश्चिमी भाग पर, पारिस्थितिक संवेदी जोन कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा रेखा शिवनसमुद्रा की पश्चिम दिशा के अभयारण्य सीमा से 1000 मीटर की दूरी से आरंभ होता है। इसके बाद सीमा रेखा बेलाकावदी ग्राम के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर मुड़कर, इसके बाद रेखा गगनचुक्की के उत्तरी भाग की ओर मुड़ती है और इसके बाद रेखा होसाहल्ली ग्राम के उत्तरी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद सीमा रेखा शिवनसमुद्रा पावर जनरेशन ईकाई की मुख्य पावर लाइन को पार करके मनचनहल्ली ग्राम दक्षिण-पूर्वी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद रेखा हेबानी ग्राम के दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर मुड़कर और नेट्टकल्लु से छोट्टनाहल्ली को पार करके नेट्टकल्लु बेट्टा की दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद सीमा रेखा दब्बहल्ली के दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर मुड़ती है। इसके बाद रेखा हुलाबल्ला के पार करके धनगुर के दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर मुड़ती है। बाद में, रेखा हलाशल्ली ग्राम के दक्षिणी भाग की ओर मुड़कर और इसके बाद मुख्य पावर लाइन एवं शिमशा नदी को पार करके गनलु के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर मुड़ती है। बाद में रेखा बैदाराहल्ली के दक्षिण पश्चिमी भाग की ओर मुड़कर और इसके बाद यह मुख्य पावर लाइन को पार करके दोद्दायेलाछगेरे के दक्षिणी भाग की ओर मुड़ती है और इसके बाद रेखा चिक्का येलाचगेरे ग्राम के दक्षिण भाग से जुड़ती है।

उपाबंध II

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर)	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)	टिप्पणी
1	कुरहट्टी होसुर	कोल्लेगल	चमराजनगर	689.092	12.08753	77.50108	संपूर्ण ग्राम
2	बोम्मासान्द्रा	कोल्लेगल	चमराजनगर	632.358	12.09113	77.48538	संपूर्ण ग्राम
3	बदराययनहल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	713.759	12.08373	77.47238	संपूर्ण ग्राम
4	कौधल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	2193.299	12.04243	77.43258	आंशिक ग्राम
5	दोद्दात्तुर	कोल्लेगल	चमराजनगर	647.756	12.03362	77.41336	संपूर्ण ग्राम
6	चेंगराहल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	740.035	12.02165	77.40056	संपूर्ण ग्राम
7	अजजीपुरम	कोल्लेगल	चमराजनगर	629.329	12.03528	77.36768	आंशिक ग्राम
8	एल्लिमलाई	कोल्लेगल	चमराजनगर	852.182	12.0723	77.35902	संपूर्ण ग्राम
9	दोद्दमरिदेवरया समुंदरम	कोल्लेगल	चमराजनगर	1316.721	12.10364	77.3408	आंशिक ग्राम
10	गोनयुर	कोल्लेगल	चमराजनगर	843.938	12.14543	77.36855	संपूर्ण ग्राम
11	सगियम	कोल्लेगल	चमराजनगर	2332.524	12.17083	77.39328	संपूर्ण ग्राम

12	बंधल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	3496.663	12.13553	77.33184	संपूर्ण ग्राम
13	मानधल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	189.619	12.13708	77.34509	संपूर्ण ग्राम
14	छींचहल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	309.972	12.12793	77.31708	संपूर्ण ग्राम
15	अलगूमले	कोल्लेगल	चमराजनगर	841.396	12.12909	77.30048	संपूर्ण ग्राम
16	हुल्लपुरम	कोल्लेगल	चमराजनगर	186.389	12.12628	77.28412	संपूर्ण ग्राम
17	मंगलम	कोल्लेगल	चमराजनगर	1326.332	12.10893	77.26968	आंशिक ग्राम
18	बुडीबालू	कोल्लेगल	चमराजनगर	799.863	12.12643	77.2592	आंशिक ग्राम
19	कोंगारहल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	199.033	12.13428	77.23151	आंशिक ग्राम
20	सिंगनल्लूर	कोल्लेगल	चमराजनगर	427.783	12.14143	77.22148	आंशिक ग्राम
21	दोदिंदुवादी	कोल्लेगल	चमराजनगर	350.915	12.1507	77.20508	आंशिक ग्राम
22	चिक्कंडुवाडी	कोल्लेगल	चमराजनगर	343.621	12.16103	77.18708	आंशिक ग्राम
23	इक्कदाहल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	1840.384	12.16093	77.22528	संपूर्ण ग्राम
24	कोठनूर	कोल्लेगल	चमराजनगर	2242.177	12.20974	77.24476	संपूर्ण ग्राम
25	चिक्कयालूर	कोल्लेगल	चमराजनगर	1927.304	12.22768	77.28321	संपूर्ण ग्राम
26	पलायम	कोल्लेगल	चमराजनगर	587.582	12.18136	77.17455	आंशिक ग्राम
27	उगनियाम	कोल्लेगल	चमराजनगर	781.164	12.20374	77.16756	आंशिक ग्राम
28	सट्टेगलम	कोल्लेगल	चमराजनगर	6667.284	12.24123	77.17468	आंशिक ग्राम
29	शिवनसमुद्र	मलावल्ली	मंदया	219.950	12.27808	77.16431	आंशिक ग्राम
30	बेलकवादी	मलावल्ली	मंदया	166.148	12.28813	77.15528	आंशिक ग्राम
31	गगना चुककि	मलावल्ली	मंदया	759.157	12.29953	77.13748	आंशिक ग्राम
32	होसाहल्ली	मलावल्ली	मंदया	218.731	12.28666	77.13455	संपूर्ण ग्राम
33	मंचनहल्ली	मलावल्ली	मंदया	476.940	12.3269	77.1081	आंशिक ग्राम
34	हेबबानी	मलावल्ली	मंदया	1010.786	12.3307	77.12226	संपूर्ण ग्राम
35	नेतकल	मलावल्ली	मंदया	602.530	12.34313	77.14678	संपूर्ण ग्राम
36	डब्बाहल्ली	मलावल्ली	मंदया	538.086	12.36923	77.14578	संपूर्ण ग्राम
37	धनगुर	मलावल्ली	मंदया	1080.435	12.38683	77.15798	संपूर्ण ग्राम
38	हालसाहल्ली	मलावल्ली	मंदया	287.390	12.37488	77.19531	संपूर्ण ग्राम
39	गनालु	मलावल्ली	मंदया	1254.601	12.37283	77.21118	संपूर्ण ग्राम
40	ब्यादराहल्ली	मलावल्ली	मंदया	433.241	12.37933	77.22508	संपूर्ण ग्राम
41	डोड्डाएलचगेरे	मलावल्ली	मंदया	114.274	12.39388	77.2189	संपूर्ण ग्राम
42	चिक्कएलचगेरे	मलावल्ली	मंदया	167.511	12.40603	77.22288	संपूर्ण ग्राम
43	शिवनहल्ली	मलावल्ली	मंदया	72.029	12.41703	77.22692	संपूर्ण ग्राम
44	हगादुर	मलावल्ली	मंदया	213.894	12.42151	77.23468	संपूर्ण ग्राम
45	होसपेटेबस्वापुरा	मलावल्ली	मंदया	146.876	12.42183	77.24648	आंशिक ग्राम
46	गुंडापूरा	मलावल्ली	मंदया	268.170	12.42373	77.25668	आंशिक ग्राम
47	नंदिपुरा	मलावल्ली	मंदया	266.820	12.41913	77.26428	आंशिक ग्राम
48	कंपईयानाडोड्डी	मलावल्ली	मंदया	217.966	12.41888	77.27051	आंशिक ग्राम
49	देवीराहल्ली	मलावल्ली	मंदया	197.502	12.42847	77.27837	आंशिक ग्राम
50	हरिहरा	कनकपुरा	रामानगर	250.587	12.39433	77.28968	आंशिक ग्राम
51	बूहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	303.663	12.39447	77.31232	आंशिक ग्राम
52	इंदुर	कनकपुरा	रामानगर	245.269	12.40373	77.33688	आंशिक ग्राम
53	चिक्कामुडुडे	कनकपुरा	रामानगर	110.472	12.41071	77.34729	आंशिक ग्राम
54	नायकनहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	223.085	12.41248	77.3645	आंशिक ग्राम
55	अलहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	359.614	12.40043	77.37878	आंशिक ग्राम

56	उय्यंबल्ली	कनकपुरा	रामानगर	301.106	12.37773	77.39268	आंशिक ग्राम
57	हेलेगहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	218.375	12.35791	77.40112	आंशिक ग्राम
58	हरोशिवनहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	284.154	12.34693	77.41528	आंशिक ग्राम
59	बेन्नगोडु	कनकपुरा	रामानगर	217.804	12.33893	77.43011	आंशिक ग्राम
60	पुरसगोंदनहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	345.135	12.35533	77.43868	आंशिक ग्राम
61	नाल्लाहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	104.153	12.37628	77.43549	आंशिक ग्राम
62	मदरहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	55.747	12.37408	77.44012	आंशिक ग्राम
63	मुल्लाहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	146.475	12.36753	77.44608	आंशिक ग्राम
64	गोल्लाहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	331.463	12.35211	77.45673	आंशिक ग्राम
65	अरेकोप्पा	कनकपुरा	रामानगर	561.058	12.33289	77.47852	आंशिक ग्राम
66	कोत्तेकोप्पा	कनकपुरा	रामानगर	340.344	12.36924	77.49096	आंशिक ग्राम
67	हलनाथा	कनकपुरा	रामानगर	514.903	12.37973	77.51528	आंशिक ग्राम
68	कुदिगलनी	कनकपुरा	रामानगर	114.769	12.36833	77.52568	आंशिक ग्राम
69	गुड्डेवीराना होसाहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	279.391	12.35193	77.53229	आंशिक ग्राम
70	वर्नीकोडु	कनकपुरा	रामानगर	837.024	12.33868	77.56171	आंशिक ग्राम
71	चिक्कामुकोदु	कनकपुरा	रामानगर	483.896	12.35301	77.58365	आंशिक ग्राम
72	हुनसनाहल्ली	कनकपुरा	रामानगर	429.665	12.36737	77.60758	आंशिक ग्राम
कुल:				50125.915			

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत संलग्न ग्राम

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	तालुक	जिला	क्षेत्र (हेक्टेयर)	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)	टिप्पणी
73	होननिगनहल्ली	कनकपुर	रामानगर	162.806	12.32352	77.55056	पूर्ण ग्राम
74	मुग्गुर	कनकपुर	रामानगर	250.138	12.31255	77.52161	पूर्ण ग्राम
75	मदिवाला	कनकपुर	रामानगर	38.434	12.29122	77.47448	पूर्ण ग्राम
76	कोंगेवडी	कनकपुर	रामानगर	33.668	12.29295	77.44184	पूर्ण ग्राम
77	संगम	कनकपुर	रामानगर	52.749	12.28915	77.42918	पूर्ण ग्राम
78	बोम्मासान्द्र	कनकपुर	रामानगर	22.129	12.28596	77.41129	पूर्ण ग्राम
79	हेगगनूर	कनकपुर	रामानगर	696.946	12.32977	77.3962	पूर्ण ग्राम
80	वीरसान्द्र	कनकपुर	रामानगर	39.422	12.31569	77.37837	पूर्ण ग्राम
81	हूलया	कनकपुर	रामानगर	80.839	12.35327	77.3623	पूर्ण ग्राम
82	चिलंदवादी	कनकपुर	रामानगर	85.728	12.35698	77.37306	पूर्ण ग्राम
83	मककलानदा	कनकपुर	रामानगर	290.339	12.40076	77.34663	पूर्ण ग्राम
84	हैरा	कनकपुर	रामानगर	1.890	12.28325	77.35651	पूर्ण ग्राम
85	मुथाथी	मलवल्ली	मांड्या	20.052	12.30058	77.30874	पूर्ण ग्राम
86	बन्नेन	मलवल्ली	मांड्या	14.862	12.3148	77.30062	पूर्ण ग्राम
87	कोनगुंडी	मलवल्ली	मांड्या	26.840	12.35315	77.30336	पूर्ण ग्राम
88	सोलीगेरे	मलवल्ली	मांड्या	59.545	12.35346	77.2904	पूर्ण ग्राम
89	संवपुरा	मलवल्ली	मांड्या	16.084	12.3653	77.29361	पूर्ण ग्राम
90	कुरिमंदे	मलवल्ली	मांड्या	3.116	12.37663	77.3003	पूर्ण ग्राम
91	बसावनहल्ली	मलवल्ली	मांड्या	154.574	12.38558	77.26606	पूर्ण ग्राम
92	सोलबा	मलवल्ली	मांड्या	8.972	12.37821	77.24497	पूर्ण ग्राम
93	मुठलाकट्टे	मलवल्ली	मांड्या	1.336	12.39494	77.23919	पूर्ण ग्राम
94	होसडोडुडी	मलवल्ली	मांड्या	77.289	12.36389	77.24329	पूर्ण ग्राम
95	दलनकट्टे	मलवल्ली	मांड्या	44.649	12.35388	77.24329	पूर्ण ग्राम

96	बासवेगौडना डोड्डी	मलवल्ली	मांड्या	28.060	12.34692	77.24652	पूर्ण ग्राम
97	तलवाडी	मलवल्ली	मांड्या	39.793	12.34253	77.2453	पूर्ण ग्राम
98	शिशपुरा	मलवल्ली	मांड्या	31.545	12.33401	77.18111	पूर्ण ग्राम
99	गनिगमंगला	कोल्लेगल	चमराजनगर	255.731	12.24363	77.33889	पूर्ण ग्राम
100	अरबीगेरे	कोल्लेगल	चमराजनगर	373.756	12.13402	77.46377	पूर्ण ग्राम
101	दंतल्ली	कोल्लेगल	चमराजनगर	216.859	12.15247	77.54329	पूर्ण ग्राम
102	पंचलनाई	कोल्लेगल	चमराजनगर	26.187	12.14399	77.67307	पूर्ण ग्राम
103	बज्जालनी	कोल्लेगल	चमराजनगर	15.487	12.12857	77.66185	पूर्ण ग्राम
104	अलंबडी	कोल्लेगल	चमराजनगर	137.129	12.14439	77.72776	पूर्ण ग्राम
105	गोपिनट्टम	कोल्लेगल	चमराजनगर	470.293	12.04482	77.69358	पूर्ण ग्राम
106	नागमलाइ	कोल्लेगल	चमराजनगर	34.628	12.02909	77.64667	पूर्ण ग्राम
107	परसलनट्टम	कोल्लेगल	चमराजनगर	67.196	12.01103	77.65894	पूर्ण ग्राम
कुल :				3879.071			

उपाबंध III

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत स्थित धारा 4 के अधीन कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 के अधिसूचित क्षेत्र की सूची:

जिला	तालुक	होबली	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	धारा 4 के कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधिसूचना सं और दिनांक
चामराजनगर जिला	कोल्लेगल	पालया	सेथेगल	174	3766.0	एफईई2एफ-एफएफ94, तारीख 21 फरवरी, 1994
	कोल्लेगल	हनुर	इक्काडाहल्ली	360 एवं 615	312.0	एचएफएफ28 एफएफ 86, तारीख 22 सितंबर, 1986 और एचएफएफ24 एफएफ 86, तारीख 22 सितंबर, 1986
कुल :					4078	

उपाबंध- IV

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत स्थित अधिसूचित आरक्षित वनों की सूची


आरक्षित/राज्य वनों का नाम	श्रेणी	प्रभाग	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	अधिसूचना सं और दिनांक
मुनेशह्वारा राज्य वन	मुनेशह्वारा	रामानगर	15.73	आर-8621-5-एफटी-95-13-4, तारीख: 04 मई, 1914

चुनची पश्चिम	कनकपुर	रामानगर	4.1562	आर -6302- एफटी -113-12-7, तारीख: 19 दिसंबर, 1916
कुल:			19.8862	

उपाबंध – V

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन का स्थलाकृतिक मानचित्र

Map showing the Eco-Sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary

**उपाबंध – VI**

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांक

मानचित्र आई.डी	अक्षांश (डिग्री मिनट सेकेंड)	देशांतर (डिग्री मिनट सेकेंड)
1	12° 6' 43"	77° 30' 23"
2	12° 6' 7"	77° 27' 34"
3	12° 4' 57"	77° 26' 7"
4	12° 3' 37"	77° 23' 44"
5	12° 3' 23"	77° 21' 48"

6	12° 7' 35"	77° 23' 40"
7	12° 10' 55"	77° 25' 18"
8	12° 13' 40"	77° 24' 26"
9	12° 11' 22"	77° 22' 24"
10	12° 9' 43"	77° 19' 1"
11	12° 8' 33"	77° 16' 37"
12	12° 10' 3"	77° 14' 19"
13	12° 12' 37"	77° 18' 36"
14	12° 16' 18"	77° 17' 9"
15	12° 15' 9"	77° 16' 28"
16	12° 13' 52"	77° 15' 17"
17	12° 11' 17"	77° 12' 32"
18	12° 13' 0"	77° 11' 35"
19	12° 14' 58"	77° 13' 55"
20	12° 18' 35"	77° 10' 49"
21	12° 19' 22"	77° 10' 16"
22	12° 21' 12"	77° 10' 25"
23	12° 20' 8"	77° 11' 60"
24	12° 21' 51"	77° 13' 50"
25	12° 23' 26"	77° 14' 23"
26	12° 23' 28"	77° 17' 28"
27	12° 23' 32"	77° 18' 50"
28	12° 24' 35"	77° 21' 50"
29	12° 21' 10"	77° 24' 4"
30	12° 20' 17"	77° 25' 31"
31	12° 19' 57"	77° 26' 18"
32	12° 22' 26"	77° 26' 3"
33	12° 19' 32"	77° 28' 18"
34	12° 22' 14"	77° 30' 59"
35	12° 20' 57"	77° 31' 51"
36	12° 21' 56"	77° 36' 56"
37	12° 20' 13"	77° 34' 59"
38	12° 18' 16"	77° 33' 37"
39	12° 16' 31"	77° 30' 32"
40	12° 15' 43"	77° 28' 41"
41	12° 12' 30"	77° 28' 25"

42	12° 11' 44"	77° 33' 52"
43	12° 11' 29"	77° 40' 43"
44	12° 6' 49"	77° 46' 40"
45	12° 2' 47"	77° 43' 11"
46	11° 56' 54"	77° 40' 12"
47	11° 58' 37"	77° 37' 53"
48	12° 2' 3"	77° 37' 47"
49	12° 6' 3"	77° 39' 54"
50	12° 9' 5"	77° 35' 60"
51	12° 8' 23"	77° 34' 20"
52	12° 7' 21"	77° 32' 54"
53	12° 8' 52"	77° 30' 12"

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांक

मानचित्र आई.डी	अक्षांश	देशांतर
1	12° 6' 36"	77° 30' 35"
2	12° 4' 43"	77° 27' 37"
3	12° 0' 22"	77° 24' 37"
4	12° 3' 0"	77° 21' 25"
5	12° 6' 36"	77° 20' 58"
6	12° 8' 16"	77° 22' 41"
7	12° 8' 9"	77° 20' 2"
8	12° 6' 32"	77° 16' 11"
9	12° 9' 30"	77° 11' 44"
10	12° 12' 56"	77° 9' 56"
11	12° 17' 14"	77° 9' 33"
12	12° 17' 27"	77° 7' 43"
13	12° 19' 30"	77° 6' 24"
14	12° 20' 36"	77° 8' 48"
15	12° 21' 52"	77° 9' 46"
16	12° 23' 13"	77° 9' 29"
17	12° 22' 2"	77° 11' 49"
18	12° 22' 29"	77° 13' 18"
19	12° 23' 55"	77° 13' 10"

20	12° 25' 19"	77° 14' 24"
21	12° 25' 40"	77° 17' 3"
22	12° 23' 60"	77° 17' 44"
23	12° 25' 8"	77° 21' 55"
24	12° 23' 50"	77° 23' 8"
25	12° 21' 32"	77° 24' 29"
26	12° 20' 32"	77° 26' 13"
27	12° 22' 54"	77° 25' 46"
28	12° 21' 53"	77° 27' 30"
29	12° 20' 21"	77° 27' 59"
30	12° 20' 24"	77° 29' 19"
31	12° 22' 7"	77° 29' 31"
32	12° 23' 39"	77° 28' 28"
33	12° 24' 3"	77° 31' 1"
34	12° 23' 20"	77° 30' 16"
35	12° 22' 41"	77° 30' 5"
36	12° 21' 29"	77° 32' 14"
37	12° 22' 26"	77° 37' 8"

उपाबंध VII**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

S.O.2733(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 656 (E), dated the 4th March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 4th march, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central government;

AND WHEREAS, the Cauvery Wildlife Sanctuary which was notified vide notification of the Government of Karnataka No. FEE 302 FWL 2011- (IV), dated the 27th November, 2011, is spread over an area of 1027.53 square kilometers within the three districts of Karnataka, namely, Ramanagara (Kanakapura Taluk), Chamrajnagara (Kollegala Taluk) and Mandya (Malavalli Taluk) and lies between the North Latitudes 11° 56' 54.38" N to 12° 24' 35.78" N and the East Longitudes 77° 09' 41.02" E to 77° 46' 39.84" E;

AND WHEREAS, the Cauvery Wildlife Sanctuary forms an important part of the South Indian Dry Deciduous type forests of Karnataka, which are traditionally known to be the best and potential habitats for tigers and its prey and also forms part of the 6724.87 square kilometres Mysore Elephant Reserve declared by the Government of Karnataka vide notification No. FEE 231 FWL 2000, dated the 25th November, 2002, with the due approval of Project Elephant, Ministry of Forest and Environment, Government of India and supports good densities of Asian elephants depicting the ecological importance of the Sanctuary;

AND WHEREAS, the Cauvery Wildlife Sanctuary is connected to Biligiri Ranganathaswamy Temple Tiger Reserve through Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary and Edyarahalli-Doddasampige Reserved Forests corridor on the south-western side and the Sanctuary is connected to Bannerghatta National Park through Ramdevarabetta-Chavarkal Reserve Forest corridor on the northern side;

AND WHEREAS, the Sanctuary is natural habitat for some of the large mammals like the Royal Bengal tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), dhole or wild dog (*Cuon alpinus*), jackal (*Canis aureus*), striped hyena (*Hyaena hyaena*), Indian fox (*Vulpus bengalensis*), sloth bear (*Melursus ursinus*), small Indian civet (*Viverricula indica*), Asian palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*), jungle cat (*Felis chaus*), rusty-spotted cat (*Prionailurus rubiginosus*), grey mongoose (*Herpestes edwardsii*) and ruddy mongoose (*Herpestes smithii*), etc., among the carnivores and some of the ungulates/herbivores/prey species found in this Sanctuary include the gaur (*Bos gaurus*), sambar deer (*Rusa unicolor*), chital or Spotted deer (*Axis axis*), wild pig (*Sus scrofa*), four-horned antelope or Chowsingha (*Tetracerus quadricornis*), Blackbuck or Indian antelope (*Antilope cervicapra*), Barking deer or Indian muntjac (*Muntiacus muntjak*) and Mouse deer or Indian chevrotain (*Moschiola indica*) and Black-naped hare (*Lepus nigricollis nigricollis*), etc;

AND WHEREAS, the riparian forest of the Cauvery Wildlife Sanctuary is the only habitat in the State of Karnataka for near threatened (International Union for Conservation of Nature) species of grizzled giant squirrel (*Ratufa macroura*) which is endemic to southern India and Sri Lanka and very recently Honey badger or Ratel (*Mellivora capensis*) has been camera trapped and recorded for the first time from the Cauvery wildlife sanctuary, which indicate the importance and uniqueness of the Cauvery Wildlife Sanctuary in terms of protection and conservation of rare, endangered and threatened (RET) species;

AND WHEREAS, the river Cauvery flowing at middle of the Wildlife Sanctuary remains home for the endangered and endemic fish species called Deccan Mahsheer (*Tor khurdee*), an important freshwater flagship species and the riverine ecosystem of Cauvery Wildlife Sanctuary is also the last remaining strongholds of the vulnerable species like smooth-coated otter (*Lutra perspicillata*), Oriental small clawed otter (*Aonyx cinerea*) and common otter (*Lutra lutra*) and this special habitat of the Wildlife Sanctuary also support other aquatic species like mugger or the marsh crocodile (*Crocodylus palustris*) and soft shelled turtle (*Aspideretes gangeticus*);

AND WHEREAS, the Cauvery Wildlife Sanctuary also supports the Endangered Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*), an Endemic Madras tree shrew (*Anathana ellioti*) and Near Threatened and Endemic Kollegal ground gecko (*Geckoella kollegalensis*);

AND WHEREAS, Cauvery Wildlife Sanctuary is designated as Important Bird Area (IBA) by BirdLife International in the year 2004, as it support more than 280 species of birds, which includes critically endangered white-rumped vulture (*Gyps bengalensis*) and Indian vulture (*Gyps indicus*), Near Threatened

Red-headed Vulture (*Sarcogyps calvus*) and some of the rare and vulnerable bird species reported from Cauvery includes Nilgiri wood-pigeon (*Columba elphinstonii*), greater spotted eagle (*Clanga clanga*), white-naped tit (*Parus nuchalis*), Pied-crested Tit (*Parus nuchalis*), and yellow-throated bulbul (*Pycnonotus xantholaemus*) and the Sanctuary support some of the migratory birds like European bee-eater (*Merops apiaster*), western Ghats species like Indian courser (*Cursorius coromandelicus*) and Malabar parakeet (*Psittacula columboides*) and is important wintering area for the globally threatened Greater Spotted Eagle (*Aquila clanga* or *Clunga clanga*);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Cauvery Wildlife sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 kilometer to 14.5 kilometers around the boundary of the Cauvery Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Cauvery Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.—

(1) The total geographical area of Eco-sensitive Zone is 600.7 square kilometers with an extent varying from 1.0 kilometer to 14.5 kilometers around the boundary of the Cauvery Wildlife Sanctuary and the boundary details of the said Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary includes 72 revenue villages with a geographical area of 501.25 square kilometer located outside the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and is spread across three Talukas of three different districts and there are 28 revenue villages present in the Eco-sensitive Zone of Kollegal Taluk (Chamarajanagar district), 21 revenue villages present in the Eco-sensitive Zone of Malavalli Taluk (Mandya district) and 23 revenue villages present in the Eco-sensitive Zone of Kanakapura Taluk (Ramanagara district), and the Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary also includes 35 enclosures villages (forest villages) present within the outer boundary of the Cauvery Wildlife Sanctuary with the total geographical area of 38.79 square kilometer.

(3) The list of 107 villages (including 35 forest villages/enclosure villages) located within the Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-II**.

(4) The 107 villages which forms part of the Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary includes Sathegal Jagir forest (about 37.66 square kilometers area notified by the Government of Karnataka under section 4 of the Karnataka Forest Act,1963 abutting the Cauvery Wildlife Sanctuary) and 3.12 square kilometers area of Ikkadahalli gudda abutting Hanur State Forest of Cauvery Wildlife Sanctuary and the detail of the said notified area located within the Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure -III**.

(5) Two Reserved Forests abutting the Cauvery Wildlife Sanctuary in the Ramanagara district were also included as part of Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary and the total area of these two Reserve Forests located outside the said wildlife sanctuary boundary, but within the Eco-sensitive Zone boundary is calculated as 19.8862 square kilometers; and the list of reserved forests located within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure -IV**.

(6) The legal status of the lands present within the Eco-sensitive Zone boundary are mainly revenue lands, patta lands, enclosures, reserved forests, forests notified under section-4 of the Karnataka Forest Act,1963, deemed forest area, roads and ponds, etc.

(7) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitude and longitude is appended as **Annexure - V**.

(8) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-VI**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated and promoted activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Landuse.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as,-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometre from the boundary of the Cauvery Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer provided that, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), the dated 8th April, 2016 as amended from time to time, and the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio- medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time;

(b) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial units.- (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption .

		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.)	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries may shall be permitted within Eco-sensitive zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste .	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste shall be permitted within Eco-sensitive Zone and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishments, hospitals, etc. shall be prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of fire wood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone , whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities specified in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.

13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
15.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (Underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. shall be actively promoted

36.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1)The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- | | |
|---|---------------------|
| (a) Regional Commissioner, Mysore | - Chairman; |
| (b) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Hanur Constituency, Chamarajanagar District* | - Member; |
| (c) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Malavalli Constituency, Mandya District * | - Member; |
| (d) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Kanakapura Constituency, Ramanagara District* | - Member; |
| (e) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka | - Member; |
| (f) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka | - Member; |
| (g) Representative of non-Governmental Organisations working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for three years | - Member; |
| (h) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore | - Member; |
| (i) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for three years | - Member; |
| (j) Member, State Biodiversity Board | - Member; |
| (k) Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar, Mandya and Ramanagar | - Member; |
| (l) The Deputy Conservator of Forests, Cauvery Wildlife Sanctuary Kollegal | - Member Secretary. |

* (Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table

under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-VII**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. Additional Measures.-The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. Orders of Supreme Court, etc.-The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/160/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE – I

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Cauvery Wildlife Sanctuary

North: The Eco-sensitive zone boundary line of Cauvery Wildlife Sanctuary starts at North-Western side from chikkayelachagere village and moves towards northern side of Shivanahalli village. Then it move towards northern side of Hagadur village. Then the line move towards North-Eastern side of Hosapete Basavapura vilage. Then the boundary line move towards South-Eastern side of Gundapura village by crossing Main power line. Then the line move towards Eastern side of Gundapura village parallel to NH 209 and then the line move towards South-Eastern direction of Hagaduru. Then the line passes through the Eastern side of Kempainadoddi village. Then line move towards North-eastern side to Devirahalli village. Then the line passes along 1000 meters distance from forest boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary through Harihara village (Sy No. 249, 78, 77, 66, 63, 62, 85, 68, 59) in the Kanakapura Taluk. Then the line passes through border villages of Chilandavadi Reserve Forest at 1000 meters distance or complete survey number from the forest boundary Boohalli (Sy. No.59, 48, 46, 149, 27) passes through Sathanur-Muthathi road and Duntoor (Sy. No 42, 43, 45, 27, 18, 13, 14, 187, 188, 166, 167, 10, 158, 159, 184) Chikkamudude (Sy. No.48, 47, 46, 30, 29, 27, 35, 101, 80), Nayakanahalli (Sy No. 82, 81, 30, 61, 62, 66, 60, 48, 46, 43, 42, 41, 32), and then the line passes through Sathanur-Kodihalli road, Yadamaranahalli kere, then the line passes through the Yadamaranahalli power station DoddAlahalli (Sy No.177, 176, 303, 04, 183, 184, 186, 188, 190, 213, 223, 212, 256, 257, 258, 268, 262, 248, 247, 149, 150, 138, 142, 141, 143), Alahalli kere then it passes through edge of Doddaalahalli village Uyyamballi (Sy No.148, 141, 122, 117, 107, 89, 90, 100, 92), Yelgahalli (Sy No.186, 188, 194, 123, 122, 134, 133, 132, 136,150,139), and then the line passes through North-western side of Haroshivanhalli village. Then the line passes through SH 92 and North-western side of Bendagodu. Then the line passes through northern side of Purashagondanahalli then it starts from Chunchi east reserve forest boundary and passes arkavathi river adjacent to forest boundary in Nallahalli, Madarahalli, Mullahalli village (Sy no, 87, 89, 57), and Gollahalli (Sy No 132, 76, 75, 72, 84, 102, 101, 108, 111, 113, 125), Arekoppa (Sy No. 120, 122, 125, 127, 116, 113, 146, 165, 168, 67, 11, 12, 21) then the line will pass shivanegowdana doddi and Kottekoppa (Sy No.63,62,76,77), then the line join muneshwara betta RF, then the line passes through western side of Alanatha and then moves towards kodihalli to Bannimukodl road and Kudigalani doddi (Sy No.13, 14), then the line passes through southern side of Guddeveerana hosahalli and join ramdevara betta RF villages and then meets the Muggur Reserve Forest boundary at 1000 meters from the boundary of Muggur Reserve Forest boundary, and then Chavarakal Reserve Forest boundary covering 1000 meters from the Reserved Forest boundary towards Bannimkodlu (Sy No.57, 103, 133, 126, 292, 139, 142, 165, 160, 159, 145), then the line passes through bande doddi village,and then the line passes through dodda halla and meets Chikkamokodlu (Sy,51, 53, 47, 46, 21, 20, 33, 64,) and Hunasankodiahalli (Sy. No. 60, 63, 64, 73, 74,

81, 85, 86, 88) and ends at SH 3 and then the line passes through the northern boundary of Chavarakal Reserve Forest and touches the interstate boundary of Karnataka and Tamilnadu State at Hunasanahalli. The Survey numbers of the above mentioned villages of Kanakapura Taluk are included in the eco-sensitive zone which are within 1000 meters distance from the boundary of the Cauvery Wildlife Sanctuary. Survey numbers which are not included above but are within 1000 meters distance from the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary are also included in the eco-sensitive zone.

The Eco-sensitive zone consists of following enclosure villages of Basavanabetta Reserved forest Talavadi, Basavegowdanadoddi, Dalanakatte, Solaba, Muthalakatte, Basavanahalli, Konangundi, Soligere, Muthathi, Kurimande, Bananne and Sambapura villages. Then it also includes enclosure villages of Chilandavadi Reserved forest like Hegganur, Veerasandra, Cheelandvadi, Sangam, Bommasandra, Hoolya and Makkalandha villages. The enclosure villages of Muggur Reserved forest include Muggur, Kongevadi and Madivala villages. Then it also includes Honniganahalli village located within the Chavarkal Reserved forest.

East: At Eastern side, the boundary line of Cauvery Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone begins from interstate boundary of Karnataka and Tamilnadu starting from point where Hunasanahalli ends with interstate border and runs along interstate border till the line meets river Cauvery and continues up to point where Palar river meets river Cauvery. Then the boundary line further continues all along the boundary line of Cauvery Wildlife Sanctuary and Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary.

The Eco-sensitive zone consists of following enclosure villages of Mahadeshwara Malai Reserve Forest viz., Padasalanatta, Thekani (Nagamalai), Gopinatham, Panchalane, Bejjalane, Dantalli, Indiganatta villages. Hogennakal and Alambadi are not revenue enclosure, but an encroached forest lands.

South: At southern side, the boundary line of of Cauvery Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone starts from a junction point where Palar River meets Cauvery River in the interstate border. Then the boundary further continues along the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary. Then the line meets southern boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and moves along the D-line of the Sanctuary and meets village boundary of Kuratti Hosur, Shettahalli, Badrayyanahalli, Koudalli, Doddalathur, Changadarahalli and Edyarahalli Reserve Forest touching southern boundary of Changadarahalli and meets the tri-junction point of Ramapura, Ajjipura and Changadarahalli. Survey numbers 772, 769, 273, 280, 277, 276, 274, 292, 275, 279, 278, 767, 748, 768, 750, 751, 290, 289, 788, 288, 287, 293, 770, 295, 292, 294, 771, 419, 420, 421, 434, 423, 424, 425, 437, 436, 773, 438, 439, 440, 441, 446, 448, 447 and 449 of Ajjipura village are included in the eco-sensitive zone of Cauvery Wildlife Sanctuary. And grama thana limits of Ajjipura village does not fall under Eco-sensitive zone. Then the line runs along the border of Hanur Reserve Forest boundary in the northern direction along the border of Chinnagudda. Then the line moves along northern part of Hanur Reserve Forest in the western direction till a cart track which runs northern and eastern direction touches Tatte Halla and then the line runs all along Tatte Halla till Tatte Halla meets Dodda Halla. The line moves towards west along Dodda Halla passing through Managalli, Chinchahalli, Gundapura and then meets the Mangala village. Then the line moves in the southern direction all along the common boundary of Gundapura and Mangala and touches at a distance of 100 meters from Kollegal-Ramapura Road. Then the Eco-sensitive Zone boundary line runs all along 100 meters distance from the Kollegal-Ramapura Road till the point where it touches the irrigation channel at Doddinduvadi. Then it takes northern direction moves all along the channel and passes through villages Chikkinduvadi, Palya, Uganeeya, Sathegara and touches a road which connects Gavipuram Temple to Bharachukki road. Then the boundary line runs along the 100 meters distance parallel to the National Highway 209 and then crosses the river Cauvery along the bridge.

The Eco-Sensitive Zone includes following enclosure villages namely Arabgere in Cowdally Reserve Forest and Ganigamangala in Chikkyalur Reserve Forest.

West: On the western side, the Eco-Sensitive Zone boundary line of Cauvery Wildlife Sanctuary starts from 1000 meters distance from the Sanctuary boundary on the West direction of Shivansamudra. Then the boundary line moves towards North-western side of Belakavadi village, then the line moves towards northern side of Gaganachukki and then the line move towards northern side of Hosahalli village. Then the boundary line move towards South-eastern side of Manchanahalli village by crossing the main power line of Shivanasamudra Power Generation unit. Then the line move towards South-western side of Hebbani village and then the line move towards South-western side of Nettkal Betta by crossing Nettkallu to Chottanahalli road. Then the boundary line move towards south-western side of Dabbahalli and it move towards south-western side of Dabbahalli. Then the line move towards south-western side of Dhanagur by crossing Hulaballa. Later, the line move towards southern side of the Halashalli village and then it move towards North western side of Ganalu crossing main power line & Shimsha River. Later, the line move towards South-western side of Byadarahalli and then it move towards southern side of the Doddayelachagere by crossing the main power line and then the line joins at the south side of Chikka yelachagere village.

ANNEXURE - II**List of revenue villages located within the Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary**

Map id	Village Name	Taluk	District	Extent (Hectare)	Latitude (Decimal Degree)	Longitude (Decimal Degree)	Remarks
1	Kurahatti Hosur	Kollegal	Chamarajanagar	689.092	12.08753	77.50108	Entire village
2	Bommasandra	Kollegal	Chamarajanagar	632.358	12.09113	77.48538	Entire village
3	Badrayanahalli	Kollegal	Chamarajanagar	713.759	12.08373	77.47238	Entire village
4	Kaudhalli	Kollegal	Chamarajanagar	2193.299	12.04243	77.43258	Partial village
5	Doddattur	Kollegal	Chamarajanagar	647.756	12.03362	77.41336	Entire village
6	Chengarahalli	Kollegal	Chamarajanagar	740.035	12.02165	77.40056	Entire village
7	Ajjipuram	Kollegal	Chamarajanagar	629.329	12.03528	77.36768	Partial village
8	Ellimalai	Kollegal	Chamarajanagar	852.182	12.0723	77.35902	Entire village
9	Doddamaridevara ya samundram	Kollegal	Chamarajanagar	1316.721	12.10364	77.3408	Partial village
10	Gonayur	Kollegal	Chamarajanagar	843.938	12.14543	77.36855	Entire village
11	Saggiyam	Kollegal	Chamarajanagar	2332.524	12.17083	77.39328	Entire village
12	Bandhalli	Kollegal	Chamarajanagar	3496.663	12.13553	77.33184	Entire village
13	Managhalli	Kollegal	Chamarajanagar	189.619	12.13708	77.34509	Entire village
14	Chinchahalli	Kollegal	Chamarajanagar	309.972	12.12793	77.31708	Entire village
15	Alagumale	Kollegal	Chamarajanagar	841.396	12.12909	77.30048	Entire village
16	Hullapuram	Kollegal	Chamarajanagar	186.389	12.12628	77.28412	Entire village
17	Mangalam	Kollegal	Chamarajanagar	1326.332	12.10893	77.26968	Partial village
18	Budibalu	Kollegal	Chamarajanagar	799.863	12.12643	77.2592	Partial village
19	Kongarhalli	Kollegal	Chamarajanagar	199.033	12.13428	77.23151	Partial village
20	Singnallur	Kollegal	Chamarajanagar	427.783	12.14143	77.22148	Partial village
21	Doddinduvadi	Kollegal	Chamarajanagar	350.915	12.1507	77.20508	Partial village
22	Chikkanduvadi	Kollegal	Chamarajanagar	343.621	12.16103	77.18708	Partial village
23	Ikkadahalli	Kollegal	Chamarajanagar	1840.384	12.16093	77.22528	Entire village
24	Kothanur	Kollegal	Chamarajanagar	2242.177	12.20974	77.24476	Entire village
25	Chikkayalur	Kollegal	Chamarajanagar	1927.304	12.22768	77.28321	Entire village
26	Palayam	Kollegal	Chamarajanagar	587.582	12.18136	77.17455	Partial village
27	Uganiyam	Kollegal	Chamarajanagar	781.164	12.20374	77.16756	Partial village
28	Sattegalam	Kollegal	Chamarajanagar	6667.284	12.24123	77.17468	Partial village
29	Shivanasamudra	Malavalli	Mandya	219.950	12.27808	77.16431	Partial village
30	Belakavadi	Malavalli	Mandya	166.148	12.28813	77.15528	Partial village
31	Gagana Chukki	Malavalli	Mandya	759.157	12.29953	77.13748	Partial village
32	Hosahalli	Malavalli	Mandya	218.731	12.28666	77.13455	Entire village
33	Manchanahalli	Malavalli	Mandya	476.940	12.3269	77.1081	Partial village
34	Hebbani	Malavalli	Mandya	1010.786	12.3307	77.12226	Entire village
35	Netkal	Malavalli	Mandya	602.530	12.34313	77.14678	Entire village
36	Dabbahalli	Malavalli	Mandya	538.086	12.36923	77.14578	Entire village
37	Dhanagur	Malavalli	Mandya	1080.435	12.38683	77.15798	Entire village
38	Halasahalli	Malavalli	Mandya	287.390	12.37488	77.19531	Entire village
39	Ganalu	Malavalli	Mandya	1254.601	12.37283	77.21118	Entire village
40	Byadarahalli	Malavalli	Mandya	433.241	12.37933	77.22508	Entire village
41	Doddayelachagere	Malavalli	Mandya	114.274	12.39388	77.2189	Entire village
42	Chikkayela-chagere	Malavalli	Mandya	167.511	12.40603	77.22288	Entire village
43	Shivanahalli	Malavalli	Mandya	72.029	12.41703	77.22692	Entire village
44	Hagadur	Malavalli	Mandya	213.894	12.42151	77.23468	Entire village
45	Hosapetebasva-pura	Malavalli	Mandya	146.876	12.42183	77.24648	Partial village
46	Gundapura	Malavalli	Mandya	268.170	12.42373	77.25668	Partial village
47	Nandipura	Malavalli	Mandya	266.820	12.41913	77.26428	Partial village
48	Kempaianadoddi	Malavalli	Mandya	217.966	12.41888	77.27051	Partial village

49	Deveerahalli	Malavalli	Mandya	197.502	12.42847	77.27837	Partial village
50	Harihara	Kanaka pura	Ramanagar	250.587	12.39433	77.28968	Partial village
51	Boohalli	Kanaka pura	Ramanagar	303.663	12.39447	77.31232	Partial village
52	Doonthur	Kanaka pura	Ramanagar	245.269	12.40373	77.33688	Partial village
53	Chikkamudude	Kanaka pura	Ramanagar	110.472	12.41071	77.34729	Partial village
54	Nayakanahalli	Kanaka pura	Ramanagar	223.085	12.41248	77.3645	Partial village
55	Alahalli	Kanaka pura	Ramanagar	359.614	12.40043	77.37878	Partial village
56	Uyyamballi	Kanaka pura	Ramanagar	301.106	12.37773	77.39268	Partial village
57	Helegehalli	Kanaka pura	Ramanagar	218.375	12.35791	77.40112	Partial village
58	Haroshivanahalli	Kanaka pura	Ramanagar	284.154	12.34693	77.41528	Partial village
59	Bennagodu	Kanaka pura	Ramanagar	217.804	12.33893	77.43011	Partial village
60	Purasagondanahalli	Kanaka pura	Ramanagar	345.135	12.35533	77.43868	Partial village
61	Nallahalli	Kanaka pura	Ramanagar	104.153	12.37628	77.43549	Partial village
62	Madarahalli	Kanaka pura	Ramanagar	55.747	12.37408	77.44012	Partial village
63	Mullahalli	Kanaka pura	Ramanagar	146.475	12.36753	77.44608	Partial village
64	Gollahalli	Kanaka pura	Ramanagar	331.463	12.35211	77.45673	Partial village
65	Arekoppa	Kanaka pura	Ramanagar	561.058	12.33289	77.47852	Partial village
66	Kottekoppa	Kanaka pura	Ramanagar	340.344	12.36924	77.49096	Partial village
67	Halanatha	Kanaka pura	Ramanagar	514.903	12.37973	77.51528	Partial village
68	Kudigalani	Kanaka pura	Ramanagar	114.769	12.36833	77.52568	Partial village
69	Guddeveerana hosahalli	Kanaka pura	Ramanagar	279.391	12.35193	77.53229	Partial village
70	Banimkodu	Kanaka pura	Ramanagar	837.024	12.33868	77.56171	Partial village
71	Chikkamukodlu	Kanaka pura	Ramanagar	483.896	12.35301	77.58365	Partial village
72	Hunasanahalli	Kanaka pura	Ramanagar	429.665	12.36737	77.60758	Partial village
Total:				50125.915			

List of enclosure villages (forest villages) located within the Cauvery Wildlife Sanctuary boundary and declared as Eco-sensitive Zone.

Map id	Enclosure village Name	Taluk	District	Extent (Hectare)	Latitude (Decimal Degree)	Longitude (Decimal Degree)	Remarks
73	Honniganahalli	Kanakpura	Ramanagara	162.806	12.32352	77.55056	Entire village
74	Muggur	Kanakpura	Ramanagara	250.138	12.31255	77.52161	Entire village
75	Madivala	Kanakpura	Ramanagara	38.434	12.29122	77.47448	Entire village
76	Kongevadi	Kanakpura	Ramanagara	33.668	12.29295	77.44184	Entire village
77	Sangam	Kanakpura	Ramanagara	52.749	12.28915	77.42918	Entire village
78	Bommasandra	Kanakpura	Ramanagara	22.129	12.28596	77.41129	Entire village
79	Hegganur	Kanakpura	Ramanagara	696.946	12.32977	77.3962	Entire village

80	Veerasandra	Kanakpura	Ramanagara	39.422	12.31569	77.37837	Entire village
81	Hoolya	Kanakpura	Ramanagara	80.839	12.35327	77.3623	Entire village
82	Chilandvadi	Kanakpura	Ramanagara	85.728	12.35698	77.37306	Entire village
83	Makkalanda	Kanakpura	Ramanagara	290.339	12.40076	77.34663	Entire village
84	Hyra	Kanakpura	Ramanagara	1.890	12.28325	77.35651	Entire village
85	Muthathi	Malavalli	Mandya	20.052	12.30058	77.30874	Entire village
86	Bannane	Malavalli	Mandya	14.862	12.3148	77.30062	Entire village
87	Konagundi	Malavalli	Mandya	26.840	12.35315	77.30336	Entire village
88	Soligere	Malavalli	Mandya	59.545	12.35346	77.2904	Entire village
89	Sambapura	Malavalli	Mandya	16.084	12.3653	77.29361	Entire village
90	Kurimande	Malavalli	Mandya	3.116	12.37663	77.3003	Entire village
91	Basavanahalli	Malavalli	Mandya	154.574	12.38558	77.26606	Entire village
92	Solaba	Malavalli	Mandya	8.972	12.37821	77.24497	Entire village
93	Muthalakatte	Malavalli	Mandya	1.336	12.39494	77.23919	Entire village
94	Hosadoddi	Malavalli	Mandya	77.289	12.36389	77.24329	Entire village
95	Dalanakatte	Malavalli	Mandya	44.649	12.35388	77.24329	Entire village
96	Basavegaudana doddi	Malavalli	Mandya	28.060	12.34692	77.24652	Entire village
97	Talavadi	Malavalli	Mandya	39.793	12.34253	77.2453	Entire village
98	Shimshapura	Malavalli	Mandya	31.545	12.33401	77.18111	Entire village
99	Ganigamangala	Kollegal	Chamarajanagar	255.731	12.24363	77.33889	Entire village
100	Arabigere	Kollegal	Chamarajanagar	373.756	12.13402	77.46377	Entire village
101	Dantalli	Kollegal	Chamarajanagar	216.859	12.15247	77.54329	Entire village
102	Panchalanai	Kollegal	Chamarajanagar	26.187	12.14399	77.67307	Entire village
103	Bajjalani	Kollegal	Chamarajanagar	15.487	12.12857	77.66185	Entire village
104	Alambadi	Kollegal	Chamarajanagar	137.129	12.14439	77.72776	Entire village
105	Gopinattam	Kollegal	Chamarajanagar	470.293	12.04482	77.69358	Entire village
106	Nagamalai	Kollegal	Chamarajanagar	34.628	12.02909	77.64667	Entire village
107	Parasalnattam	Kollegal	Chamarajanagar	67.196	12.01103	77.65894	Entire village
Total:				3879.071			

ANNEXURE-III

Detail of the area notified under section 4 of the Karnataka Forest Act, 1963 located within the Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary:

District	Taluk	Hobli	Village	Survey No.	Area notified under section 4 of the Karnataka Forest Act,- 1963 (in hectares)	Notification No. and date
Chamarajanagar District	Kollegal	Palya	Sathegal	174	3766.0	FEE2F-AF94, dated the 21 st February, 1994
	Kollegal	Hanur	Ikkadahalli	360 and 615	312.0	AHFF28 FAF 86 dated the 22 nd September, 1986 and AHFF24 FAF 86, dated the 22 nd September, 1986
Total :					4078	

ANNEXURE – IV


The list of notified reserved forests located within the Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary

Name of the Reserved /State Forests	Range	Division	Area in sq. km.	Notification No. and date
Muneshwara State Forest	Muneshwara	Ramanagara	15.73	R-8621-5-Ft-95-13-4, dated the 04 th May, 1914
Chunchi West	Kanakapura	Ramanagara	4.1562	R-6302-Ft-113-12-7, dated the 19 th December, 1916
Total:			19.8862	

ANNEXURE – V

Topographic Map showing Eco-sensitive Zone around Cauvery Wildlife Sanctuary

Map showing the Eco-Sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary

**ANNEXURE – VI**

Geo Coordinates of major points on the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary

Map id	Latitude (Degree Minute Second)	Longitude (Degree Minute Second)
1	12° 6' 43"	77° 30' 23"
2	12° 6' 7"	77° 27' 34"
3	12° 4' 57"	77° 26' 7"
4	12° 3' 37"	77° 23' 44"
5	12° 3' 23"	77° 21' 48"
6	12° 7' 35"	77° 23' 40"

7	12° 10' 55"	77° 25' 18"
8	12° 13' 40"	77° 24' 26"
9	12° 11' 22"	77° 22' 24"
10	12° 9' 43"	77° 19' 1"
11	12° 8' 33"	77° 16' 37"
12	12° 10' 3"	77° 14' 19"
13	12° 12' 37"	77° 18' 36"
14	12° 16' 18"	77° 17' 9"
15	12° 15' 9"	77° 16' 28"
16	12° 13' 52"	77° 15' 17"
17	12° 11' 17"	77° 12' 32"
18	12° 13' 0"	77° 11' 35"
19	12° 14' 58"	77° 13' 55"
20	12° 18' 35"	77° 10' 49"
21	12° 19' 22"	77° 10' 16"
22	12° 21' 12"	77° 10' 25"
23	12° 20' 8"	77° 11' 60"
24	12° 21' 51"	77° 13' 50"
25	12° 23' 26"	77° 14' 23"
26	12° 23' 28"	77° 17' 28"
27	12° 23' 32"	77° 18' 50"
28	12° 24' 35"	77° 21' 50"
29	12° 21' 10"	77° 24' 4"
30	12° 20' 17"	77° 25' 31"
31	12° 19' 57"	77° 26' 18"
32	12° 22' 26"	77° 26' 3"
33	12° 19' 32"	77° 28' 18"
34	12° 22' 14"	77° 30' 59"
35	12° 20' 57"	77° 31' 51"
36	12° 21' 56"	77° 36' 56"
37	12° 20' 13"	77° 34' 59"
38	12° 18' 16"	77° 33' 37"
39	12° 16' 31"	77° 30' 32"
40	12° 15' 43"	77° 28' 41"
41	12° 12' 30"	77° 28' 25"
42	12° 11' 44"	77° 33' 52"
43	12° 11' 29"	77° 40' 43"
44	12° 6' 49"	77° 46' 40"
45	12° 2' 47"	77° 43' 11"
46	11° 56' 54"	77° 40' 12"
47	11° 58' 37"	77° 37' 53"
48	12° 2' 3"	77° 37' 47"
49	12° 6' 3"	77° 39' 54"
50	12° 9' 5"	77° 35' 60"
51	12° 8' 23"	77° 34' 20"
52	12° 7' 21"	77° 32' 54"
53	12° 8' 52"	77° 30' 12"

Geo Coordinates of major points on the on the Eco-Sensitive Zone boundary around Cauvery Wildlife Sanctuary.

Map id	Latitude	Longitude
1	12° 6' 36"	77° 30' 35"
2	12° 4' 43"	77° 27' 37"
3	12° 0' 22"	77° 24' 37"
4	12° 3' 0"	77° 21' 25"
5	12° 6' 36"	77° 20' 58"
6	12° 8' 16"	77° 22' 41"
7	12° 8' 9"	77° 20' 2"
8	12° 6' 32"	77° 16' 11"
9	12° 9' 30"	77° 11' 44"
10	12° 12' 56"	77° 9' 56"
11	12° 17' 14"	77° 9' 33"
12	12° 17' 27"	77° 7' 43"
13	12° 19' 30"	77° 6' 24"
14	12° 20' 36"	77° 8' 48"
15	12° 21' 52"	77° 9' 46"
16	12° 23' 13"	77° 9' 29"
17	12° 22' 2"	77° 11' 49"
18	12° 22' 29"	77° 13' 18"
19	12° 23' 55"	77° 13' 10"
20	12° 25' 19"	77° 14' 24"
21	12° 25' 40"	77° 17' 3"
22	12° 23' 60"	77° 17' 44"
23	12° 25' 8"	77° 21' 55"
24	12° 23' 50"	77° 23' 8"
25	12° 21' 32"	77° 24' 29"
26	12° 20' 32"	77° 26' 13"
27	12° 22' 54"	77° 25' 46"
28	12° 21' 53"	77° 27' 30"
29	12° 20' 21"	77° 27' 59"
30	12° 20' 24"	77° 29' 19"
31	12° 22' 7"	77° 29' 31"
32	12° 23' 39"	77° 28' 28"
33	12° 24' 3"	77° 31' 1"
34	12° 23' 20"	77° 30' 16"
35	12° 22' 41"	77° 30' 5"
36	12° 21' 29"	77° 32' 14"
37	12° 22' 26"	77° 37' 8"

ANNEXURE – VII**Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
[Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.